झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के माननीय अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी एवं माननीय सदस्या श्रीमती शबनम परवीन का दिनांक–11.09.2023 से दिनांक–14.09.2023 तक पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला–खरसावाँ एवं पूर्वी सिंहभूम जिले से संबंधित भ्रमण प्रतिवेदन।

1. पश्चिमी सिंहभूम जिला में दिनांक–12.09.2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक जनसुनवाई कार्यक्रम एवं जिला के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक

- दिनांक–12.09.2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक पश्चिमी सिंहभूम जिला के परिसदन भवन में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें आयोग के अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी एवं सदस्या श्रीमती शबनम परवीन के अतिरिक्त पश्चिमी सिंहभूम के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, सिविल सर्जन आदि उपस्थित रहे। जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान पश्चिमी सिंहभूम जिला से आयोग में दर्ज शिकायतें जो जिला स्तर पर लंबित हैं, इनकी प्रति पुनः सम्बन्धित पदाधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए इन शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई करने एवं कृत कार्रवाई से आयोग को 15 दिनों के अन्दर अवगत कराने का निर्देश दिया गया। **(अनुपालन– सभी संबंधित पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम)**
- जन सुनवाई में उपस्थित शिकायतकर्त्ता अविनेश गेरई द्वारा बताया गया कि 12 जनवरी 2022 को PDS डीलर सुकु सगेन महिला स्वयं सहायता समूह के विरूद्ध कम राशन वितरण करने के शिकायत के मामले में सुनवाई के बाद भी माह अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर का राशन नहीं मिला है। आयोग के अध्यक्ष द्वारा अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम से इस संबंध में पूछे जाने पर बताया गया कि जितनी भी शिकायतें उन्हें प्राप्त हुई उनपर विधिवत् सुनवाई की गई और आदेश भी पारित किये गये, जिनकी प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को भी अनुपालन हेतु दिया गया। अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया कि उनके द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में पर्याप्त अनुश्रवण नहीं किया जा सका। उक्त मामले में आयोग के अध्यक्ष द्वारा निम्नवत् आदेश दिया गयाः–

"जन सुनवाई में उपस्थित शिकायतकर्त्ता अविनेश गेरई बता रही हैं कि प्रधान मरला एवं लखन सिंह मारला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम के कार्यालय में वाद सं0–06/2022 पर दिनांक–22.02.2022 को आदेश पारित किया गया। शिकायत में गोयलकेरा प्रखण्ड के ग्राम–लुंगडी के जनवितरण प्रणाली दुकानदार सुकु सगेन महिला स्वयं सहायता समुह के विरूद्ध कम राशन वितरण करने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत पर विस्तृत सुनवाई कर अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी ने शिकायत को सही पाया और प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, गोइलकेरा को निर्देश दिया था कि जिन लाभुकों को कम राशन दिया गया, उन्हें अविलंब राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आज जनसुनवाई में उपस्थित अविनेश गरई ने आयोग को बताया कि अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। आयोग इसे अत्यंत ही गंभीर विषय मानता है। ऐसी परिस्थितयों के कारण आयोग इस निष्कर्ष पर पहुँचने को बाध्य है कि अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी ने अपने जिम्मेवारी का निर्वहन करने में कोताही बरती है। आयोग अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम को निर्देश देता है कि भविष्य में अपने पारित आदेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। आयोग उन अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारियों के खिलाफ अधिनियम के अधिन विधि सम्मत कार्रवाई करने को बाध्य होगा, जो अपने आदेश का अनुपालन नहीं करा पायेंगे। आयोग अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम को निर्देश देता है कि इस वाद में जितने लाभुकों को कम राशन दिया गया है या राशन नहीं दिया गया है, उन्हें उस अवधि का 1.25 गुणा मुआवजा सहित राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और ऐसा कर दिये जाने का प्रमाण 15 दिनों के अन्दर आयोग को उपलब्ध करायें अन्यथा आयोग उनके विरूद्ध विधि सम्मत करवाई करने को बाध्य होगा।"

आयोग के आदेश के आलोक में अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम द्वारा कहा गया भविष्य में वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आदेश का अनुपालन हुआ या नहीं एवं आदेश का अनुपालन अवश्य करायेंगे।**(अनुपालन– अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम)**

- शिकायतकर्ता श्री कृष्णा पाहन, टुमरी द्वारा शिकायत की गई कि आंगनबाड़ी केन्द्र जो पहले मौजा मटका मातु, टुंगरी बी में संचालित था लेकिन आंगनबाड़ी सेविका ने अपने सुविधानुसार उसको तमड़वा मौजा में शिफ्ट करा दिया। इस पर आयोग के अध्यक्ष द्वारा संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से पूछे जाने पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि

ऐसा संभव नहीं है, लेकिन यह शिकायत उनके पास 5 दिन पहले आई है। इसपर कार्रवाई के संबंध में पूछे जाने पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वे दोनों पक्षों को साथ में लेकर बैठेंगी और सारे पोषक क्षेत्र को देखेंगी उसके उपरान्त निर्णय लेंगी।

- शिकायतकर्ता श्री कृष्ण पाहन द्वारा यह भी बताया गया कि टुंगरी बी के केन्द्र में 77 बच्चे Registered हैं, परन्तु हर दिन 4–5 बच्चे आते हैं। उससे ज्यादा कभी नहीं आते हैं। यह भी बताया गया कि पूरे बच्चों का अनाज लिया जाता है, पर 4–5 बच्चे ही आते हैं। इस पर आयोग के अध्यक्ष द्वारा संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को इसकी जांच कराने का निर्देश दिया गया। शिकायतकर्ता द्वारा यह भी बताया गया कि मटका मातु मौजा में 0–6 साल के बच्चे, गर्भवती मातायें एवं धातृ मातायें भी हैं। एक मौजा से दूसरे मौजा में हस्तांतरित करने के बाद सभी लाभुक लाभ से वंचित हैं। आयोग के अध्यक्ष द्वारा शिकायतकर्ता को शिकायत से संबंधित सभी दस्तावेज देने को कहा गया एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को 7 दिनों के अन्दर कार्रवाई कर कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने का निर्देश दिया गया। शिकायतकर्ता द्वारा आंगनबाड़ी सेविका के चयन में गड़बड़ी की बात भी कही थी। जिसपर आयोग द्वारा इस मामले में विभाग को सक्षम बताया गया। **(अनुपालन– बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम)**
- कुमारडुंगी प्रखण्ड, पंचायत+ग्राम– भौंडा के डीलर–सह– भारतीय मीडिया फाउन्डेसन के President द्वारा यह बताया गया कि 24 फरवरी 2023 को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा कुमारडुंगी जाकर 41 लाभुकों से गलत तरीके से शिकायतपत्र में रात के समय टार्च की रौशनी में अँगूठा लगवा लिया गया। इसके उपरान्त उक्त डीलर को निलंबित कर दिया गया। डीलर द्वारा बताया गया कि माह सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर में PMGKAY का खाद्यान्न कम आया था। इस कारण उनके द्वारा कम अनाज वितरण किया गया एवं कार्ड में भी कम मात्रा की entry की गयी। यह भी कि उनके द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को स्वयं आकर जाँच करने का आग्रह भी किया गया। आयोग के अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि कम अनाज आया तो आपने लिया क्यों? उसी समय आयोग, अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति को लिखित शिकायत करें। अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि अक्सर डीलर की ये समस्या होती है कि पीछे से अनाज कम मिला। जो पनन पदाधिकारी हैं वो गोदाम से मिली भगत करके अनाज कम देते हैं। लेकिन डीलर कम अनाज होने के बावजूद जितना अनाज आना चाहिए उसी पर साईन करता है। डीलर को कहा गया कम में receive करेंगे तो आपको दिक्कत होगी ही। आयोग के अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि कम अनाज दो ही स्थिति में आती है। चाहे तो डीलर के पास सरप्लस अनाज बचा होता है तो काट कर दिया जाता है। ऐसे में डीलर लोगों को ये बताता है कि पीछे से कम आया, लेकिन ये नहीं बताता है कि पहले का बचा हुआ था इसीलिए कम आया। डीलर द्वारा यह भी बताया गया कि

डीलरों द्वारा लिखित आवेदन दिया गया है कि प्रति क्वींटल में 2–3 कि0ग्रा0 कम अनाज दिया जाता है। डीलर द्वारा कहा गया कि वे भविष्य में आयोग के आज के गाईडलाइन के अनुसार कार्य करेंगे।

इस मामले में अध्यक्ष द्वारा पूछे जाने पर संबंधित पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इनके विरूद्ध PGMS portal पर शिकायत प्राप्त हुआ था, जिसमें शिकायत की गयी थी कि डीलर द्वारा कम मात्रा में राशन दिया जाता है। पंचिंग करने के बाद 3–4 महिना दौडाता है एवं राशन लेने जाने पर गाली–गलौज करता और कुछ बोलने पर जेल भेजने का धमकी देता है। ये सही पाया गया और इसे 41 लोग द्वारा हस्ताक्षर करके दिया गया जिसे PGMS portal पर upload कर close कर दिया गया। संबंधित पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि यही शिकायत public health cell में भी आया था। इसपर जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में इनको निलंबित करने की अनुशंसा की गयी है। इसपर आयोग के अध्यक्ष द्वारा पदाधिकारी को कहा गया कि उनके द्वारा पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है। डीलर को कहा गया कि यदि आपको लगता है कि बिना प्रक्रिया के आपको सस्पेंड किया गया है, आपने कोई गड़बड़ी नहीं की है, तो आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। यह आयोग का विषय नहीं है।

- जनसुनवाई में उपस्थित एक शिकायतकर्ता द्वारा राशन कार्ड में बच्चों का नाम नहीं जोड़े जाने संबंधी शिकायत की गई। इसपर आयोग के अध्यक्ष द्वारा शिकायतकर्ता को ऑनलाईन आवेदन की प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी को देने को कहा गया। साथ ही जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम को आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। **(अनुपालन– जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम)**
- जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान आयोग में दर्ज लंबित शिकायतों की सूचि एवं इनकी प्रति पुनः सम्बन्धित पदाधिकारियों को कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी गई। जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान आयोग के अध्यक्ष द्वारा अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जितनी भी शिकायतें लंबित हैं, इनपर कार्रवाई कर कृत कार्रवाई से आयोग को 10 दिनों के अन्दर अवगत कराया जाय। **(अनुपालन– अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम)**
- आयोग के अध्यक्ष द्वारा सिविल सर्जन से जिले के MTC केन्द्रों की स्थिति पूछी गई। सिविल सर्जन द्वारा बताया गया कि जिला में कुल–05 MTC केन्द्र हैं। सदर में– 20 बेड है जहाँ 37 बच्चे उपचाराधीन हैं। पश्चिमी सिंहभूम, अनुमण्डल अस्पताल, चक्रधरपुर, CKP में sanctioned बेड की कुल संख्या–10 है, जहाँ 18–20 बच्चों का admission रहता है। जगन्नाथपुर MTC में बेड की कुल संख्या–10, जहाँ वर्तमान में 11 बच्चे हैं। कुमारडुंगी MTC में sanctioned बेड की कुल संख्या–10

परन्तु वर्तमान में 11 बच्चे admit हैं। मनोहरपुर में बेड की कुल संख्या–10 है, जिसका occupancy कम है।

- आयोग के अध्यक्ष द्वारा पूछा गया कि Parent स्वेच्छा से बच्चों को लेकर आते हैं या विभाग को प्रयास करना पड़ता है ? इसपर सिविल सर्जन द्वारा बताया गया कि क्योंकि ये काफी दूर पड़ता है तो पहले Parents हिचकिचाते हैं। परन्तु एक बार Services देखने के बाद वे फिर स्वयं आते हैं।
- आयोग के अध्यक्ष द्वारा यह पूछने पर कि क्या कभी किसी भी माध्यम से ऐसी जानकारी मिलती है कि बच्चे कुपोषित हैं पर MTC नहीं आना चाहते हैं ? इसपर पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कई बार जानकारी मिलती है कि बच्चे कुपोषित होने के बाद भी MTC नहीं आना चाहते हैं। आयोग द्वारा अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी से Parents को Convince करने के mechanism के विषय पर पूछे जाने पर अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि ग्रामीणों में जानकारी का अभाव है। सिविल सर्जन द्वारा बताया गया कि जब कुपोषित बच्चे आते हैं, तो यह कोशिश की जाती है कि वो MTC में इलाज करायें।
- सिविल सर्जन द्वारा यह भी बताया गया कि MTC केन्द्र में परिवारों द्वारा स्वयं खाना बनाने के लिए Community Kitchen की व्यवस्था है। साथ ही कहा गया कि जिले के सदर का MTC केन्द्र पूरे राज्य का one of the best MTC केन्द्र है।
- पदाधिकारी द्वारा यह भी बताया गया कि जो लोग पहाड़ या ऐसे जगह पर रहते है जहां से शहर नहीं आ सकते, पर culturally उन लोगों का वहाँ पर हाट लगता है। जहाँ–जहाँ हाट होता है उस हाट में 4–5 गाड़ियों में डॉक्टर और उसकी पूरी टीम मेडिकल फैसिलिटी के साथ उपस्थित रहते हैं, जो कि सभी का इलाज करते है एवं दवा भी दिया जाता है। बताया गया कि यह एक additional facility है एवं स्वास्थ्य सुविधा पहुँचाने की अच्छी पहल है। साथ ही एक मोबाईल क्लिनिक program सरकार द्वारा Primitive tribal group के लिए शुरू की गई है। जो 4–5 गांव में जाकर Primitive tribal group बच्चों का इलाज करेगी। Medical facility में जो भी गैप आती है उसे इसके द्वारा पूरा किया जा रहा है। दो–तीन शहरी प्रखण्डों को छोड़ कर बाकी सभी प्रखण्डों में ऐसी सुविधा है।
- आयोग द्वारा सिविल सर्जन से जिले में कुपोषण की स्थिति के संबंध में पूछे जाने पर सिविल सर्जन द्वारा बताया गया कि ऐनीमिया मुक्त भारत के प्रोग्राम में पश्चिमी सिंहभूम राज्य भर में प्रथम स्थान पर है। सिविल सर्जन द्वारा यह भी बताया गया कि ऐनिमिया मुक्त करने के लिए इसमें different-different age group में different department involved हैं। इसके लिए एक summer अभियान भी चलता है जो ऐनिमीया से मुक्त करने के लिए होता है। आयोग के अध्यक्ष द्वारा सिविल सर्जन से

अनुरोध किया गया कि MTC केन्द्र ले जाने के लिए मुखिया को भी इससे जोड़ें। अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि कुपोषण को दूर करने के लक्ष्य में मुखिया एक अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि उनकी पहली प्राथमिकता कुपोषण से लड़ना है।

- सिविल सर्जन द्वारा यह भी बताया गया कि सारे MTC केन्द्रों में बच्चों के ठीक हो जाने के बाद उनके घर जाने के क्रम में उन्हें Johnson baby Kit या माताओं को साड़ी देते हैं, ताकि जब वो घर वापस जायें तो दूसरे लोग भी उन्हें देखकर MTC आयें।
- आयोग के अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि MTC केन्द्रों में बेड कैसे बढ़ाई जाय ताकि यदि लोग aware हो जाये, तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बेड़ उपलब्ध रहे।
- आयोग के अध्यक्ष द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक से पूछा गया कि क्या उनके द्वारा कभी किसी स्कूल का औचक निरीक्षण किया गया है? तथा निरीक्षण के दौरान उन्होंने कोई खामियाँ पाई ? इस पर जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा लगभग 40–45 स्कूलों में औचक निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कई खामियाँ पाई। जैसे– जहाँ पर MDM का खाना बन रहा था वहाँ पर साफ–सफाई नहीं थी, तो सफाई करने का निर्देश दिया गया, रसोईयों को सर पर कैप नहीं पहनने पर कैप पहनने का भी निर्देश दिया गया, उनके द्वारा चावल की proper सफाई करके पकाने एवं MDM के मेन्यू का पालन करने का भी निर्देश दिया गया है। जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा यह भी बताया गया कि रसोईया/सहायिका मेन्यू के अनुसार ही खाना बनाती हैं।
- आयोग के अध्यक्ष द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक से पूछा गया कि जिन भी स्कूलों का निरीक्षण उनके द्वारा किया गया वहाँ खाना गैस पर पकता है, या लकडियों पर ? इसपर जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा बताया गया कि सभी जगहों पर मध्याह्न भोजन गैस पर ही पकता है। सिर्फ 2 जगहों पर गैस नहीं होने के कारण लोकल व्यवस्था पर भोजन बनाया जा रहा था ताकि MDM किसी भी हालत में बन्द नहीं हो। आयोग के अध्यक्ष द्वारा पूछे जाने पर जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा निरीक्षण किये गये सभी विद्यालयों में मेन्यू दिवार पर लिखा हुआ था। आयोग के अध्यक्ष द्वारा अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को भी मेन्यू का display सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।**(अनुपालन– अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम)**

2. **पश्चिमी सिंहभूम जिला में दिनांक–12.09.2023 को अपराह्न 02:00 से अपराह्न 04:00 बजे तक जिले के पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद**

- दिनांक–12.09.2023 को अपराह्न 02:00 से अपराह्न 04:00 बजे तक पश्चिमी सिंहभूम जिला अन्तर्गत आने वाले विभिन्न पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुखिया संवाद कार्यक्रम में जिले के 232 में से 169 पंचायतों के मुखिया उपस्थित हुए। संवाद कार्यक्रम के दौरान आयोग के अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी एवं सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन के अतिरिक्त पश्चिमी सिंहभूम जिले के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला शिक्षा अधीक्षक आदि उपस्थित रहे। सभी पदाधिकारियों द्वारा अपने–अपने विभाग के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित योजनाओं की जानकारी दी गई। अध्यक्ष श्री हिमांशु शेखर चौधरी द्वारा मुख्य रूप से योजनाओं के क्रियान्वयन में पंचायत एवं मुखिया की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

  आयोग की ओर से सभी मुखियागणों के बीच किट का वितरण किया गया, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् संचालित योजनाओं यथा जनवितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से सम्बन्धित जानकारी दी गई है।

- मंझारी प्रखण्ड के बागा पंचायत के मुखिया द्वारा बताया गया कि ग्रामिण क्षेत्रों में अण्डा 7–8 रू0 की दर से मिलता है, किन्तु सरकार के तरफ से मध्याह्न भोजन में दिये जाने हेतु अण्डा का दर 06 रू0 तय है। ऐसे में इसकी भरपाई कैसे करें ? साथ ही कहा गया कि इस हेतु राशि बाद में प्राप्त होता है। पहले अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ता है। अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में जिला शिक्षा अधीक्षक से पूछे जाने पर जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा बताया गया कि सरकार/एमडीएम प्राधिकरण के द्वारा त्रैमासिक में अण्डा एवं कुकिंग कास्ट राशि हमलोगों को उपलब्ध करायी जाती है। मुखिया द्वारा बताया गया कि इस संबंध में शिक्षकों से पूछने पर उनके द्वारा कहा जाता है कि उनका वेतन भी समय पर नहीं आता है। ऐसे में उधारी लेकर एमडीएम चलाना पड़ता है। अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि किसी का यह तर्क स्वीकार नहीं करना है कि किस परिस्थिति में मध्याह्न भोजन में अण्डा नहीं दिया जा रहा है। हम तर्क सुनेंगे तो हम समाधान की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। आप सीधा ये कहिये कि हमको नहीं पता है। हम अनपढ़ आदमी हैं। आप सिर्फ ये पूछें की बच्चों को अण्डा मिलना था, क्यों नहीं मिला ? क्या वजह था, हम नहीं जानना चाहते। आप आयोग

को प्रमाण भेजिये, शिकायत कीजिये। पहले अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को शिकायत कीजिये, समाधान नहीं होता है तो आयोग को भेजिये, सुनवाई होगी।

- नावामुंडी प्रखण्ड से किरीबुरू पंचायत की मुखिया, पार्वती किडो द्वारा बताया गया कि इनके क्षेत्र में जितने भी आंगनबाड़ी केन्द्र हैं उनका अपना भवन नहीं है, जिसके कारण आंगनबाड़ी केन्द्र का संचालन सही तरीके से नहीं हो पाता है। उनके द्वारा निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी केन्द्र बन्द पाये जाने पर जब इस संबंध में पूछा जाता है तो उन्हें बताया जाता है कि हमारे पास तो भवन नहीं है, तो दूसरे के यहाँ संचालन करते हैं तो ये सब दिक्कत आते रहती है। अध्यक्ष द्वारा संबंधित पदाधिकारी से पूछे जाने पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जहाँ पर भवन नहीं है वहाँ पर किराया दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में 700रू प्रति माह किराया दर निर्धारित है। इस वित्तीय वर्ष में जहाँ–जहाँ का किराया बकाया था, उसके लिए राशि भी हर ब्लॉक को दी गई है। आयोग के अध्यक्ष द्वारा इस मामले में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को अपने स्तर से कार्रवाई हेतु निदेश दिया गया।**(अनुपालन– जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम)**
- सदर प्रखण्ड के एक मुखिया द्वारा बताया गया कि उनके पंचायत के कई ऐसे बुजुर्ग महिला/ वृद्धा हैं, जिनका Punching नहीं हो पाता है और डीलर द्वारा कहा जाता है कि जब तक Punching नहीं होगा तब–तक राशन नहीं मिलेगा। इस पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि यदि कोई वृद्ध व्यक्ति अथवा मजदूर है, जिसका अंगुठा घिस गया है और यदि उनका किसी भी उंगली का punching नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको चिन्हित करके इसकी सूची हमें दें। ऐसे लोगों को अपवाद पंजी के माध्यम से राशन वितरण की व्यवस्था की जाएगी। डीलर को भी हर मीटिंग में बताया जाता है कि एक अपवाद पंजी संधारित करना है। उस अपवाद पंजी में जितने भी लाभुक हैं, उन सबको हर महिना बिना punching कराये खाद्यान्न उपलब्ध करा देना है।
- सदर प्रखण्ड के एक मुखिया द्वारा मध्याह्न भोजन ठंडा हो जाने पर बदबू आने एवं खराब हो जाने की बात कही गई। इस पर आयोग के अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप से शिकायत करने का निर्देश दिया गया। साथ ही जिला शिक्षा अधीक्षक को इस समस्या के समाधान हेतु निदेश दिया गया। **(अनुपालन– जिला शिक्षा अधीक्षक, पश्चिमी सिंहभूम)**
- मुखिया मनोरमा बिरूआ द्वारा बताया गया कि जब वे निरीक्षण हेतु आंगनबाड़ी केन्द्र गई तो पाया गया कि केन्द्र में लकड़ी–पत्ता जलाकर नास्ता तैयार किया जा रहा है। पूछे जाने पर जबाव मिला कि 2–3 महिनों से जलावन की राशि नहीं मिली है एवं सेविका लोगों के मानदेय की राशि भी नहीं मिली है। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि जलावन की राशि एवं सेविका के मानदेय की राशि सही समय पर मिले, तो बच्चों को सही सलामत नास्ता दिला पायेंगे। इस पर जिला समाज

कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्तमान में लगभग 131 आंगनबाड़ी केन्द्रों को गैंस सिलिंडर का कनेक्शन नहीं मिला है, बाकी सभी केन्द्रों को मिल गया है और इनका भुगतान भी जिला स्तर से किया जा रहा है। यह भी कि शुरू में दो सिलिंडर दिया गया है, जिसकी खपत करने पर संबंधित संचालिका गैस सिलिंडर भरवायेंगी और उसको जो गैस एजेंसी भाउचर देगा वो जमा करेंगी, तब पारित होकर राशि उनके पोषाहार खाते में आ जायेगा।

- रंगराड़ी पंचायत, प्रखण्ड–टोंटो के मुखिया द्वारा सुझाव दिया गया कि जिस प्रकार स्कूलों में मेन्यू चार्ट का बोर्ड लगता है उसी प्रकार PDS डीलरों के दुकान के बाहर कार्डधारी की संख्या, PDS दुकान किस–किस दिन, कितने बजे से कितने बजे तक खुला रहता, आदि सूचना से संबंधित बोर्ड लगा रहे। इस पर आयोग के अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि इसका प्रावधान पहले से ही है। जिस PDS दुकान के बाहर इसकी विवरणी नहीं है उनकी शिकायत अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को कीजिए। यदि अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं तो झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग में इसकी शिकायत कीजिए। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा भी बताया गया कि पूर्व से ही इसका प्रावधान है। यह भी बताया गया की सोमवार को डीलरों का सार्वजनिक अवकाश रहता है। सोमवार को छोड़कर बाकी सभी दिन दुकान खुला रहेगा एवं सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 के बीच दुकान खुलेगा लाभुक हैं, तो वो इसके बाद भी अनाज बाँट सकते हैं। यह भी बताया गया कि हर PDS दुकान के बाहर सूचना पट्ट लगाना अनिवार्य है। यह भी बताया गया कि अधिकांश जगहों पर हर महिने चावल दिवस मनाया जाता है। उसमें एक कॉलम बना होता है कि जो मजिस्ट्रेट वहाँ खाद्यान्न वितरण कराने गये तो बोर्ड वहाँ पर लगा हुआ है अथवा नहीं। यह भी कहा कि अगर उनके पंचायत में ऐसा नहीं होता है तो इसे सख्ती से लागू करवायें। ऐसा नहीं करने पर उस डीलर के विरूद्ध लिखित शिकायत करें, उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। इस बात की भी जानकारी दी गई कि कई बार नये लोगों का नाम जुड जाने एवं नाम कट जाने पर उनकी रिक्ति बन जाती है। डीलर को ये निर्देश है कि प्रत्येक महिने वितरण करने के पूर्व अद्यतन लाभुक की सूची बाहर में प्रदर्शित करेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार से प्रदर्शित करे इस प्रक्रिया में कोई भी डीलर बहाना नहीं कर सकता है।
- श्रीजगजील करैया, ग्राम पंचायत–बुण्डु, प्रखण्ड–टोंटो द्वारा बताया गया कि इनके पंचायत में कुल–15 गांव हैं एवं कार्डधारियो की संख्या लगभग 1500 है। सभी 15 गांवों के लिए एक डीलर था, जो एक साल से सस्पेन्ड है। जिस वजह से लाभुकों को राशन लेने के लिए लगभग 30 कि0मी0 दूर जाना पड़ता है और बीच में दो CRP कैंप बन गया है। जब लाभुक राशन लेने जाते हैं तो लाभुकों को प्रताड़ित किया जाता है। वहाँ पर JSLPS के माध्यम से जो महिला ग्रुप बना है, उनको लाइसेंस निर्गत किया जाय। बताया गया कि इस संबंध में उनके द्वारा जिला आपूर्ति

पदाधिकारी एवं उपायुक्त को आवेदन भी दिया गया है। इस पर आयोग के अध्यक्ष द्वारा इसे एक गंभीर मामला बताते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपायुक्त से Special Provision कराते हुए नियमित तौर पर इसका समाधान निकालने को कहा गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि विशेष परिस्थिति में ऐसा मामला होने पर विभाग को लिखा जाता है। किन्तु यह भी बताया गया कि वर्तमान में नया Dealership अभी बन्द है। **(अनुपालन– जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम)**

सरायकेला–खरसावाँ जिला में दिनांक–13.09.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक समीक्षात्मक बैठक एवं जनसुनवाई कार्यक्रम।

- दिनांक–13.09.2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक सराकेला–खरसावाँ जिला के परिसदन भवन में जनसुनवाई एवं समीक्षात्मक बैठक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आयोग के अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी एवं सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन के अतिरिक्त सरायकेला–खरसावाँ जिले के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, सिविल सर्जन आदि उपस्थित रहे। इस दौरान आयोग में दर्ज लंबित शिकायतों की प्रति पुनः सम्बन्धित पदाधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए शीघ्र कार्रवाई करने एवं कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने का निदेश दिया गया।

समीक्षात्मक बैठक

- आयोग के अध्यक्ष द्वारा अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ से खाद्य सुरक्षा संबंधी शिकायतों की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावा द्वारा बताया गया कि उनके यहां कुल प्राप्त शिकायतें 563 है। जिसमें से 548 शिकायतों अर्थात 97.34% का निष्पादन कर दिया गया है। जो 15 लंबित शिकायतें हैं उन लंबित शिकायतों में से 9 शिकायतें राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए है। एक शिकायत राशन उपलब्ध नहीं हो पाने से संबंधित था, उन्हें राशन उपलब्ध करा दिया गया है। इसके अतिरिक्त राशन कार्ड से नाम हटाने से संबंधित शिकायतें हैं।

बताया गया कि जल्द ही लंबित शिकायतों को निष्पादित कर प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

- आयोग की सदस्या द्वारा सरायकेला–खरसावाँ जिले से प्राप्त 24 लंबित मामले जो अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को प्रेषित हैं, इन मामलों का जाँच करके निष्पादित कर 7 दिनों के अन्दर आयोग को जाँच प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया। **(अनुपाल–अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ)**
- अध्यक्ष द्वारा अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ को निर्देश दिया गया कि जो भी शिकायतें आती हैं–राशन कार्ड में नाम जोड़ने, राशन कार्ड बनाने, राशन कार्ड से नाम हटाने आदि, तो इसपर की जाने वाली कार्रवाई की सूचना शिकायतकर्त्ता को भी दें, नहीं तो उनके मन में अधिकारियों के खिलाफ गलत भावना उत्पन्न होगी कि पैसे नहीं देने के कारण अधिकारी हमारा काम नहीं कर रहें हैं।**(अनुपाल–अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ)**
- आयोग के अध्यक्ष द्वारा अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी से पुछा गया कि जितनी भी शिकायतें है सब PDS से ही है या NON PDS की भी शिकायतें हैं। इसपर अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ द्वारा बताया गया कि सब PDS से ही संबंधित होती हैं। अध्यक्ष द्वारा पुछा गया कि क्या इस जिले में आंगनबाड़ी केन्द्र, MDM, MTC सेन्टर, ये बिल्कुल सही है ? आखिर क्या वजह है कि लोग इसकी शिकायतें नहीं करते हैं ? आंगनबाड़ी केन्द्रों में भी कमीयाँ हैं, खामियाँ है। जिस मात्रा में पोषाहार मिलनी चाहिए उस मात्रा में नहीं मिल रहा है। MDM में मेनू के अनुसार भोजन नहीं मिल रहा है फिर भी शिकायतें क्यों नहीं आ रही हैं ? लोगों की ऐसी धारणा बन गई है कि जन वितरण प्रणाली मतलब खाद्य आयोग, जनवितरण प्रणाली मतलब, अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी। अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि इस भाव को तोड़िये लोगों को बताइये आंगनबाड़ी केन्द्र में भी समस्या है। कुपोषण के अंतर्गत भी समस्या है, मध्याह्न भोजन के अंतर्गत भी समस्या है, इन बातों की खुलकर लोगों को जानकारी दें। जनसुनवाई में उपस्थित अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावा द्वारा कहा गया कि उनके द्वारा 15 दिनों में जानकारी प्राप्त कर इसका रिपोर्ट आयोग में देगें। उनके द्वारा कहा गया कि जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के माध्यम से आंगनबाड़ी के सहियों के माध्यम से सभी क्षेत्रों में जाकर वर्कशॉप द्वारा या टेन्ट लगाकर लाभुको को जानकारी देगें।

- आयोग के अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि ऐसे जगह जहाँ हाट–बाजार लगता है, जहाँ लोग इकठ्ठा होते है, वहाँ मॉइक, टेन्ट लगवाकर या वर्कशॉप आदि माध्यम से लोगों को जानकारी दें। विद्यालयों में जाकर देखें कि क्या स्कूलों की दिवारों पर मेन्यू लिखा हुआ है। मेन्यू की जानकारी होने पर ही अभिभावक एवं बच्चे शिक्षकों पर और प्रधानाचार्य पर दबाव डालेगें कि आज मेनू में ये मिलना था। इसी प्रकार आंगनबाड़ी केन्द्र से मिलने वाले लाभ की भी जानकारी लोगों को दी जाय। लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने की आवश्यकता है।
- अध्यक्ष द्वारा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी से पूछा गया कि क्या आंगनबाड़ी केन्द्रों के बाहर होर्डिंग्स डिस्पले लगे हैं एवं उनके द्वारा केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया जाता है ? जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा 23 अगस्त को प्रभार लिया गया है। अबतक उनके द्वारा ईचागढ़ के दो केन्द्रों एवं सरायकेला के एक केन्द्र का निरीक्षण किया गया है। इन केन्द्रों पर सारी योजनाओं की जानकारी पोस्टर के माध्यम से दिया गया है। किन्तु मेन्यू कहीं लिखा नहीं पाया गया।
- आयोग के अध्यक्ष द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी से पूछा गया कि उनके द्वारा कितने विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया है। जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा बताया गया कि अबतक उनके द्वारा लगभग 50 से 60 स्कूलों का औचक निरीक्षण किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि निरीक्षण के दौरान उनके द्वारा जाँच किया जाता है कि विद्यालयों में मध्याह्न भोजन मेन्यू के हिसाब से मिल रहा है या नहीं ?यह भी बताया गया कि निरीक्षण में पाया गया कि दो स्कूल में मेन्यू नहीं लिखा गया था। जिन स्कूलों में मेन्यू नहीं लिखा गया है, उनमें 02 दिनों के अन्दर मेन्यू लगाने का निर्देश उनके द्वारा दिया गया है।
- MDM के गैस चूल्हा पर बनाये जाने एवं समय पर कूकिंग कॉस्ट की राशि नहीं मिलने के संबंध में आयोग के अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिया गया कि अगर इन मामलों में उनके द्वारा कोई पत्र विभाग को भेजा जाता है, तो उसकी कॉपी आयोग में भी भेजें। यह बात स्वीकार नहीं किया जा सकता कि मेन्यू के अनुसार MDM नहीं मिलता है। भ्रमण के दौरान आयोग को मेन्यू के अनुसार MDM नहीं मिलने की शिकायतें प्राप्त होती रहीं है। इसके प्रति गम्भीरता दिखाई जाय कि बच्चों को मेन्यू के अनुसार भोजन मिले। शिक्षकों की जो दिक्कतें हैं, खाना पकाने वाली बहनों रसोईयो की जो दिक्कते हैं, उनके प्रति भी संवेदनशीलता दिखाईये, उनकी भी दिक्कते दूर किजिए। लेकिन किसी भी हाल में मेन्यू के अनुसार भोजन न मिले ये बर्दाशत मत किजिए।

- आयोग के अध्यक्ष द्वारा सिविल सर्जन से MTC केन्द्रों की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर बताया गया कि सरायकेला–खरसावाँ जिला में कुल– 4 MTC सेन्टर है एवं सभी में 10 बेड है। राजनगर में–13, चांडील में–11, सरायकेला में–14, निमडीह में–11 बच्चे उपचाराधीन है।
- आयोग के अध्यक्ष द्वारा पूछा गया कि कितने बच्चे स्वतः आते है ? कितने बच्चों को आगनबाड़ी सेविका या सहिया द्वारा लाया जाता है ? इसपर सिविल सर्जन द्वारा बताया गया कि अधिकतर बच्चों को लाया जाता है। अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि **जितने भी बच्चे कुपोषण उपचार केन्द्र में भर्ती हैं आज कुपोषण की स्थिति ऐसी नहीं है कि इतने ही बच्चे आये।** कुपोषण हमारे लिए एक गम्भीर समस्या है, लेकिन अभिभावक जागरूक नहीं है। उनको जानकारी नहीं है कि MTC ले जाना क्यों जरूरी है ? सरकार की योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी नहीं है तो इस विषय का सबसे ज्यादा प्रचार–प्रसार किया जाय एवं लोगों में जागरूकता फैलाई जाय। आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से, सेविका–सहिया दीदी के माध्यम से कुपोषण के प्रति प्रचार–प्रसार कर लोगों को कुपोषण के प्रति जागरूक करें।
- आयोग के अध्यक्ष द्वारा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी से प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना की स्थिति के बारे में पूछने पर बताया गया कि जो महिला पहली बार गर्भवती होती हैं, उन्हें इस योजना के तहत् पूर्व में तीन किस्तों में राशि दी जाती थी, अब दो किस्तों में 5000 रू० की राशि दी जाती है। पहली किस्त में 3000 और दूसरी किस्त में 2000 हजार की राशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त अगर दूसरी संतान लड़की हो, तो उसको 6000 हजार की एकमुश्त राशि दी जाती है। आयोग के अध्यक्ष द्वारा पूछा गया कि क्या इस योजना का लाभ लेने के लिए लोग आते हैं। इसपर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सरायकेला–खरसावाँ जिला पूरे राज्य में पहले स्थान पर है।

<u>जनसुनवाई</u>

- जनसुनवाई में उपस्थित शिकायतकर्त्ता श्री विकाश मालवी द्वारा बताया गया कि उनके परिवार में छः सदस्य हैं, 30 कि0ग्रा0 राशन में नहीं हो पाता है। अगर उनके PH राशन कार्ड AAY राशन कार्ड में परिवर्तित कर दिया जाता, तो सुविधा हो जाती। आयोग के अध्यक्ष द्वारा शिकायतकर्त्ता को बताया गया कि इसका एक नियम होता है। आप online आवेदन कर दें। अगर नियम संगत होगा, तो बना दिया जायेगा।
- जनसुनवाई में उपस्थित शिकायतकर्त्ता श्री हरी दत्त तिवारी द्वारा शिकायत की गयी कि उन्होंने कोरोना काल में PDS दुकानदारों के द्वारा NON PDS अनाज की कालाबजारी किये जाने की शिकायत PGMS में की थी, किन्तु जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा PGMS में कहा जाता है कि

इसकी जाँच चल रही है। स्पष्ट पूछने पर इनके द्वारा नहीं बताया जाता है। आयोग के अध्यक्ष द्वारा पूछा गया कि क्या आयोग में इसकी लिखित शिकायत की गयी है, इसपर शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि आयोग में इससे पूर्व शिकायत नहीं की गयी है। अध्यक्ष द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी से पूछे जाने पर बताया गया कि यह उनके पदस्थापन से पहले की शिकायत है। इसके लिए विभाग से दो सदस्यीय टीम गठित किया गया है, सहायक आपूर्ति पदाधिकारी को भी वहीं से नामित किया गया है। जाँच अभी पूरी नहीं हो पायी है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा एक महिने के अन्दर जांच कर जांच प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराने की बात कही गयी। **(अनुपालन–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ)**

शिकायतकर्त्ता श्री तिवारी द्वारा सरायकेला जिला के गम्हरिया–प्रखण्ड में फर्जी राशन कार्ड के संबंध में प्रत्येक माह का उठाव एवं वितरण की शिकायत विभाग को किये जाने की भी बात कही गयी। इस पर आयोग के अध्यक्ष द्वारा उन्हें पहले अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ को शिकायत करने एवं निदान नहीं होने पर आयोग में शिकायत दर्ज कराने का निर्देश दिया गया।

- जनसुनवाई में उपस्थित शिकायतकर्त्ता श्री सूरज महतो, गम्हरिया–प्रखण्ड द्वारा शिकायत की गयी कि अगस्त माह के राशन में 05 से 08 कि0ग्रा0 राशन की कटौती की जा रही है। कहा गया कि बान्दरी पंचायत, चमारू पंचायत और नारायणपुर पंचायत में सभी लाभुकों से 05 से 08 कि0 ग्रा0 राशन की कटौती की जा रही है। आयोग के अध्यक्ष द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी से इस संदर्भ में पूछने पर उनके द्वारा 02–03 दिनों में जाँच की बात कही गयी। अध्यक्ष द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सात दिनों के अन्दर जांच कर जांच प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।**(अनुपालन–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ)**
- जनसुनवाई में उपस्थित शिकायतकर्त्ता श्री रमेश हाँसदा द्वारा बताया गया कि पिछले तीन महिनों से चावल नहीं मिल रहा है। पूरे जिले में अगस्त माह का राशन नहीं मिलने का समाचार तो अखबार में भी आया था। शिकायतकर्त्ता का कहना है कि इस बार का राशन सुनिश्चित तौर पर लाभुकों को दिया जाय। इससे पूर्व भी आयोग के समक्ष शिकायत की गयी थी। दिसम्बर 2022 का हम लोगों को चावल नही मिला है, जिस पर आयोग द्वारा संज्ञान भी लिया गया था। जिला से भी डीटेल आया कि उन्हें जानकारी नहीं है, कि चावल कहाँ गया। उनके द्वारा बताया गया कि लोगों को चावल नहीं मिला है। इसमें जो लोग दोषी हैं, उनपर कार्रवाई करने का आग्रह किया गया। शिकायतकर्त्ता का कहना है कि अभी अखबारों में देखने को मिल रहा है कि हजार मिट्रिक टन चावल पूरे राज्य से गायब है। आग्रह किया गया कि दोषियों पर कार्रवाई किया जाय। अध्यक्ष द्वारा पूछे जाने पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया कि इनकी दो शिकायतें हैं। पहली शिकायत

दिसम्बर माह का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का खाद्यान्न बहुत सारे लोगों को नहीं मिलने की है। इसकी सुनवाई आयोग में हुई थी, इसमें उनके द्वारा प्रतिवेदन दिया गया था, जिसमें उल्लेख था कि जो खाद्यान्न प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का खाद्यान्न जितना मिलना था उतना मिला नहीं था। बाद में आयोग द्वारा यह मामला निष्पादित कर दिया गया। दूसरी शिकायत है कि तीन माह से खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अगस्त माह का खाद्यान्न थोड़ा विलम्ब से मिला था और पिछले साल का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का जो खाद्यान्न डीलरों के पास अवितरित रह गया था, उसको एक बार में समायोजित करते हुए, जिस डीलर के पास पहले से जितना खाद्यान्न बचा है, उसको NIC के माध्यम से समायोजित करते हुए शेष जो बचा खाद्यान्न है, उसे डीलरों को उपलब्ध कराया गया। इसलिए अगस्त माह का राशन विलम्ब हुआ था। वर्तमान में अगस्त एवं सितम्बर माह का राशन वितरण साथ साथ चल रहा है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच समायोजन की जो प्रकिया चल रही थी इसलिए राशन मिलने में विलम्ब हुई। आयोग के अध्यक्ष द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी से इस संबंध में एक लिखित प्रतिवेदन आयोग को भेजने का निर्देश दिया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी का पत्र प्राप्त होने पर आयोग द्वारा विभागीय सचिव से इस बारे में पत्राचार किया जायगा। जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सात दिनों के अन्दर जांच प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। **(अनुपालन–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ)**

- जनसुनवाई में उपस्थित शिकायतकर्त्ता श्री बहादुर राव, राजनगर–प्रखण्ड द्वारा शिकायत की गयी कि उनके द्वारा अपने बच्चे का नाम जोड़ने लिए तीन साल पूर्व आवेदन दिया गया था, किन्तु आजतक नाम नहीं जुड़ा है। शिकायतकर्ता द्वारा यह भी शिकायत की गयी कि जनवितरण प्रणाली दुकानदार द्वारा एक से दो कि0ग्रा0 राशन की कटौती की जाती है एवं पत्थर रखकर वजन किया जाता है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्तमान में 30,000 से अधिक लोगों का नाम जोड़े जाने हेतु आवेदन pending है। अभी हम लोगों को नाम जोड़ने के लिए मात्र बीस लोगों का ही विवरण दिखता हैं। जल्द ही हम लोग इस शिकायत का निवारण कर देंगे। कम राशन दिये जाने के मामले में अध्यक्ष द्वारा शिकायतकर्ता को एक लिखित शिकायत पत्र जिला शिकायत निवारण पदाधिकरी के यहां जमा करने का निदेश दिया गया। यह भी बताया गया कि अगर अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा एक महिने के अन्दर इसपर कार्रवाई नहीं होती है, तो आयोग में शिकायत दर्ज करें।
- जनसुनवाई में उपस्थित राजनगर–प्रखण्ड, पंचायत–जमुनी के एक शिकायतकर्त्ता द्वारा ग्राम–सितानी की PDS डीलर महिला समिति द्वारा अगस्त माह का राशन नहीं दिये जाने की शिकायत की गयी। बताया गया कि इसकी शिकायत उपायुक्त कार्यालय, जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं प्रखण्ड

कार्यालय में भी की गई है, किन्तु अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई। आयोग के अध्यक्ष द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी से शिकायत के बारे में पूछने पर बताया गया कि डीलर को सस्पेन्ड करने की कार्रवाई चल रही है। आयोग के अध्यक्ष द्वारा सस्पेन्शन से पहले हर लाभुक को अनाज उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। शिकायतकर्त्ता द्वारा यह भी बताया गया की साकेन सागा महिला समिति में 235 राशन कार्ड है उसमें से 135 लोगों को राशन नहीं मिला है। अध्यक्ष द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जितने लोगो ने शिकायत की है, उनको तीन दिनों के अन्दर राशन उपलब्ध कराया जाय एवं इसका लिखित प्रमाण आयोग को भेजा जाय। इसकी जाँच रिपोर्ट तीन दिनों के अन्दर आयोग को उपलब्ध करायें। **(अनुपालन–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ)**

सरायकेला–खरसावाँ जिला में दिनांक–13.09.2023 को अपराह्न 02.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक जिले के पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद।

- दिनांक–13.09.2023 को अपराह्न 02.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक सरायकेला–खरसावाँ जिला अन्तर्गत आने वाले प्रखण्डों के विभिन्न पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुखिया के साथ संवाद कार्यक्रम में जिले के 132 में से 106 पंचायतों के मुखियागण एवं 2 वार्ड पार्षद उपस्थित हुए। संवाद कार्यक्रम के दौरान आयोग के अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी एवं सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन के अलावे सरायकेला–खरसावाँ जिले के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला शिक्षा अधीक्षक, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, अंचल अधिकारी आदि उपस्थित रहे। सभी पदाधिकारियों द्वारा अपने–अपने विभाग के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित योजनाओं की जानकारी दी गई। अध्यक्ष श्री हिमांशु शेखर चौधरी द्वारा मुख्य रूप से योजनाओं के क्रियान्वयन में पंचायत एवं मुखिया की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

आयोग की ओर से सभी मुखियागणों के बीच किट का वितरण किया गया, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् संचालित योजनाओं यथा जनवितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से सम्बन्धित जानकारी दी गई है।

3. **सरायकेला–खरसावाँ जिला अन्तर्गत आने वाले विभिन्न पंचायतों के मुखियागण द्वारा उठाये गये मामलों का समाधान**

- मंगल माझी, रोसनिया–पंचायत के मुखिया द्वारा बुजुर्ग महिला या पुरूष का अंगूठे का निशान ई–पॉस में नहीं लेने के कारण उनको राशन नहीं मिलने की बात कही गयी। आयोग के अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि अगर किन्हीं का अंगूठा मशीन में नहीं लगता है, या तकनीकि दिक्कत है, तो किसी भी हालत में किसी को भी राशन देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। उनको अपवाद पंजी के माध्यम से राशन दिया जाना है।

- खरसावाँ अंतर्गत हरीभंजा–पंचायत के मुखिया द्वारा PDS डीलर कार्तिक चन्द्र दास द्वारा राशन कम दिये जाने की शिकायत की गयी। इस पर आयोग के अध्यक्ष द्वारा इसकी लिखित शिकायत आयोग के वॉट्सऐप नं0 पर करने का निर्देश दिया गया।

- सरायकेला, प्रखण्ड–गोविन्दपुर के मुखिया श्री सामापूर्ति द्वारा बताया गया कि उनके पंचायत में एक डीलर है, जो विकास महिला समिति चलाती है। उनका एलोटमेन्ट जीरो हो गया है। इससे पूर्व भी मार्च में उनका allotment जीरो हुआ था। बिना पंचिंग किये एलोटमेन्ट दिया जाता है। पंचिंग नहीं हो पाता है तो एलोटमेन्ट जीरो हो जाता है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया जाता है कि पिछले कई माह से आवंटन का वितरण नहीं कर पाने की स्थिति में वही आवंटन अवशेष बचा होगा। उसी अवशेष का समायोजन सरकार द्वारा किया गया है। जो खाद्यान्न अवशेष बच गया है वो डीलर के पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको खरीद कर बाँटेंगे। जिला आपूर्ति पदाधिकरी द्वारा कहा गया कि इसकी शिकायत लिखित रूप में दीजिये। इस पर कार्रवाई की जायेगी।

- पंचायत–चिमटिया के मुखिया श्री अभिरा मुर्मू द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र में बच्चों को दिये जाने वाले पोषाहार/भोजन के बारे में पूछा गया। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इसका टाइम टेबल बना हुआ है। सुबह 8 से 9 बजे तक खेल–कूद कराया जायेगा। 9 से 10 बजे के बीच सुबह का नास्ता के रूप में सूजी का हलवा दिया जायेगा। उसके बाद कुछ एक्टविटी करा कर मुंगफली और गुड़ दिया जायेगा। दोपहर 12:30 बजे उन्हें खाना दिया जायेगा। फिर 1 बजे केन्द्र बंद होता है ।

- श्री राखोर सिंह मुण्डा, मुखिया द्वारा राशन कार्ड से नाम हटाने एवं दूसरे राशन कार्ड में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया के सरलीकरण का सुझाव दिया गया। आयोग के अध्यक्ष द्वारा इस

पर सहमति जताते हुए जिला आपूर्ति पदधिकारी को कहा गया कि नाम डीलिट तो तुरन्त हो जाना चाहिए। इसकी शिकायतें आयोग तक आती है, कि मेरा नाम डीलिट नहीं हो रहा है। इसमें तो कोई प्रकियात्मक बधायें तो नहीं है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जल्द ही इसकी समीक्षा करें कि कितने मामले लंबित हैं, उनका नाम डीलिट किया जाय। **(अनुपालन–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ)**

- पंचायत–कटंगा, प्रखण्ड–राजनगर की मुखिया श्रीमती रानी द्वारा कहा गया कि जो राशन PDS डीलरों को मिलती है इसकी जानकारी मुखिया के तौर पर उन्हें दी जानी चाहिए। आयोग के अध्यक्ष द्वारा इस पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा गया कि इसकी एक प्रक्रिया है, जो विभाग तय करेगा। आयोग नीति निर्धारण में सुझाव मात्र दे सकता है। मुखिया श्रीमती रानी द्वारा बताया गया कि जब पंचायत में डीलर द्वारा राशन का वितरण किया जाता है, तो उन्हें पता नहीं चलता है कि कब राशन बांटा गया ? आयोग के अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि आयोग की ओर से उन्हें वितरित किये गये किट में सतर्कता समिति का उल्लेख है। सतर्कता समिति के अध्यक्ष के रूप में वे डीलर से पूरा रिकार्ड मांग सकती हैं।
- पंचायत–कुजू की मुखिया श्रीमती पिंकी बाध्या द्वारा पूछा गया कि अगर डीलर एक तारीख से राशन देता है तो कितने तारीख तक बाँटेगा ? इस पर जिला आपूर्ति बताया गया कि समान्य रूप से राशन का वितरण करने के लिए पूरे माह का समय दिया जाता है, और विभाग के तरफ से डीलर को 12 दिन पहले खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्देश है। अगर किसी कारण से खाद्यान्न उपलब्ध कराने में विलंब होता है, तो उसके लिए अलग से अवधि का विस्तार किया जाता है। मुखिया द्वारा बताया गया कि डीलर द्वारा माह के 28, 29, 30 तारीख तक राशन बाँट कर बोला जाता है कि राशन खत्म हो गया। आयोग के अध्यक्ष द्वारा इसकी लिखित शिकायत करने का निर्देश दिया गया।
- पंचायत– बड़का के मुखिया द्वारा आंगनबाड़ी के बाहर मेन्यू डिस्पले नहीं लगे होने की शिकायत की गयी। आयोग के अध्यक्ष द्वारा मुखिया से कहा गया कि अगर आंगनबाड़ी केन्द्र के बाहर मेनू नहीं लगा है तो आप अपने फंड से होर्डिंग्स/पोस्टर लगवायें।
- कुचाई–प्रखण्ड की मुखिया द्वारा बताया गया कि नेटवर्क नहीं रहने के कारण लोगों को पंचिंग करने के लिए 5 से 6 कि0मी0 दूर जाना पड़ता है। डीलर द्वारा एक सप्ताह पहले से ही पंचिंग करवाया जाता है, उसके बाद राशन मिलता है। आयोग के अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि यह सिर्फ उनके पंचायत की दिक्कत नहीं है। ये राज्य के कई इलाकों में ये दिक्कत है। इन दिक्कतों का

निवारण सरकार कर रही है। कई टॉवर लगाये जा रहे हैं, डोंगल लगाये जा रहें हैं। लेकिन पंचिंग नहीं हो रहा अथवा नेटवर्क नहीं है, तो राशन देने से मना नहीं किया जा सकता।

- पंचायत–छोटादाना के मुखिया श्री देवी लाल सोरेन द्वारा अगस्त माह का राशन वितरण के दौरान डीलर द्वारा दो–दो बार पंचिंग कराने की बात कही गयी। इस पर आयोग के अध्यक्ष द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को जाँच हेतु निदेश दिया गया। **(अनुपालन–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ)**

पूर्वी सिंहभूम जिला में दिनांक–14.09.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक जनसुनवाई कार्यक्रम एवं समीक्षात्मक बैठक।

- दिनांक–14.09.2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक पूर्वी–सिंहभूम जिला के परिसदन भवन में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आयोग के अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी एवं सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन के अतिरिक्त पूर्वी–सिंहभूम जिले के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, आदि उपस्थित रहे। जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान आयोग में दर्ज शिकायतें, जो जिला स्तर पर लंबित है, इनकी प्रति पुनः सम्बन्धित पदाधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए शीघ्र कार्रवाई करने एवं कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने का निदेश दिया गया।**(अनुपालन– सभी संबंधित पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम)**

- जनसुनवाई में उपस्थित एक शिकायतकर्त्ता श्री मिश्रजी तिवारी द्वारा बताया गया कि लगभग 07–08 माह पूर्व उनका हरा राशन कार्ड बना है, किन्तु जब से कार्ड बना है तबसे एक बार भी राशन नहीं मिला है। यह भी कि PDS दुकान पर लाभुकों के list में उनका नाम एवं कार्ड नम्बर भी नहीं रहता। अध्यक्ष द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी से पूछे जाने पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि ग्रीन कार्ड का राशन नहीं आ रहा है। वर्तमान में जनवरी एवं फरवरी माह का राशन बट रहा है। यह भी बताया गया कि नया कार्ड बनने के तीन महिने के बाद राशन मिलता है। अध्यक्ष द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को शिकायतकर्ता की समस्या की जांच कर शिकायत का निदान करने का निदेश दिया गया।**(अनुपालन– जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम)**

- जनसुनवाई में उपस्थित शिकायतकर्त्ता श्री गोविन्द नामता द्वारा उनकी पुत्री को प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना का पैसा नहीं मिलने की शिकायत की गयी। उनके द्वारा बताया गया कि उनकी पुत्री को दिनांक–20.10.2021 को एक पुत्र हुआ था। इससे संबंधित सारे डॉकुमेन्टस ऑगनबाड़ी केन्द्र में जमा भी किया गया था। अध्यक्ष द्वारा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को जांच कर शिकायतकर्ता की समस्या का समाधान किये जाने का निदेश दिया गया। **(अनुपालन– जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम)**
- जनसुनवाई में उपस्थित एक शिकायतकर्त्ता श्री ज्योतिस कुमार यादव द्वारा पिछले माह अगस्त का राशन कई जगहों पर वितरण नहीं होने की शिकायत की गयी। उनके द्वारा कहा गया कि अगस्त माह का राशन 35 प्रतिशत लोगों को ही मिल पाया है। अध्यक्ष द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी से इस संबंध में पृच्छा करने पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया कि अगस्त, सितंबर माह में समस्या है। अभी अगस्त माह का राशन 30 सितंबर तक बाँटना है। भारत सरकार का आदेश है कि माह अगस्त, सितंबर, अक्टुबर, नवम्बर एवं दिसंबर 2022 का राशन जो राज्य सरकार को उपलब्ध कराया गया था। उसमें से कुछ राशन राज्य सरकार के पास बचा है। भारत सरकार द्वारा उतने राशन की कटौती करके आवंटन FCI को दिया गया है। इस मामले में हमारी जाँच चल रहा है। लगभग 54 प्रतिशत राशन का वितरण हो गया है। धीरे–धीरे सब जगह राशन वितरण कराया जा रहा है। महिने के अंत तक सभी जगह राशन उपलब्ध करा दिया जायेगा। आयोग के अध्यक्ष द्वारा इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा गया कि अगर भूख से किसी की मौत होती है, तो क्या भारत सरकार जिम्मेवार होगा या राज्य सरकार या नगर परिषद ? आयोग के अध्यक्ष द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि अगर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी है जो उनके नियंत्रण में नहीं है, तो इस आशय का पत्र आयोग को लिखा जाय। यह भी कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा जो बातें कही गयी हैं, उन्हें लिखित रूप से आयोग में दिया जाय।
- शिकायतकर्त्ता श्री ज्योतिस कुमार यादव द्वारा बताया गया कि दुसरी शिकायत यह है कि राशन दुकानदार द्वारा कुछ ऐसे राशन कार्डधारियों का राशन कार्ड अन्त्योदय में परिवर्तित कर दिया गया है, जो अन्त्योदय राशन कार्ड का पात्रता नहीं रखते हैं। यह भी कि पिछले वर्ष उनके द्वारा इसकी शिकायत की गयी थी। इसके आलोक में जाँच कर कुछ कार्ड भी डीलिट किया गया। जो राशन कार्डधारी नहीं थे, उनके नाम पर कार्ड कैसे बना एवं राशन का उठाव कैसे हुआ ? इसकी शिकायत आठ माह पहले भी की गयी थी। अध्यक्ष द्वारा शिकायतकर्त्ता से आयोग के वाट्सएप्प पर लिखित आवेदन भेजने का निर्देश दिया गया।

- आयोग की सदस्या द्वारा आयोग के वाट्सएप्प पर प्राप्त शिकायतें जो जिला को प्रेषित की गयी थी, इनके संबंध में पृच्छा करने पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा प्रतिवेदन आयोग को भेज दिया गया है। इस पर अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि आयोग के सदस्य सचिव इसकी जाँच करेंगे कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा कहे गये पक्ष के संबंध में आयोग को जानकारी क्यों नहीं है ?
- अध्यक्ष द्वारा आग्रह किया गया कि जो भी शिकायतें हों सही या गलत, तकनिकी रूप से होती हैं। शिकायतकर्त्ता को भी उसकी एक प्रति भेज दें कि आपने ये शिकायत की थी एवं आपकी ये शिकायत गलत है अथवा अमान्य है। शिकायतकर्त्ता को ये पता तो चले कि उसकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई है ? फिर उसकी एक कॉपी आयोग को भी भेज दिया जाय।
- जनसुनवाई में उपस्थित एक PDS डीलर द्वारा शिकायत की गयी कि उनका चावल, गेहूँ का DSD द्वारा इन्ट्री कर दिया गया है। किन्तु DSD ने चावल, गेहूँ नहीं दिया है। DSD द्वारा कहा जाता है कि जहां जाना है जाओ, हम राशन नहीं देगें। इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम द्वारा कहा गया कि यह मामला उनके भी संज्ञान में आया है। इन्होंने लिखित आवेदन भी दिया है। DC के यहां से दोनों को शोकोज किया गया है। DSD एवं AGM दोनों के यहां से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में सदस्य सचिव, राज्य खाद्य आयोग को जिला के उपायुक्त को पत्र भेजकर 7 दिनों के अन्दर जवाब मांगने का निर्देश दिया गया।
- अध्यक्ष द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम से जनवितरण दुकानों के निरीक्षण एवं सूचना पट्ट लगाये जाने के संबंध में पूछे जाने पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम द्वारा बताया गया कि वे एवं मार्केटिंग ऑफिसर जांच करते रहते हैं। सारे जनवितरण प्रणाली दुकानों में सूचना पट्ट लगा हुआ है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी बताया गया कि वे स्वयं बोड़ाम के वरीय प्रभार में हैं। बोडाम में भी लगभग सारे जनवितरण प्रणाली दुकान पर सूचना पट्ट लगा हुआ है।
- आयोग के अध्यक्ष द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम से विद्यालयों के औचक निरीक्षण एवं मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता जाँच के संबंध में पृच्छा करने पर जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा बताया गया कि भोजन का क्वालिटी अच्छा रहता है।
- आयोग के अध्यक्ष द्वारा बच्चों को मध्याह्न भोजन मेन्यू के अनुसार मिलने एवं सभी स्कूलें में मेन्यू डिस्पले लगा होने के संदर्भ में पूछने पर जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा बताया गया कि सभी स्कूलों में मेन्यू के अनुसार भोजन मिलता है। कुल–1620 स्कूल हैं। सभी स्कूलों में मेन्यू डिस्पले लगा हुआ है। नया मेन्यू आया था, उसे भी पिछले माह प्रिंट करके लगवा दिया गया है।

- सिविल सर्जन अनुपस्थित रहें। उपस्थित प्रभारी पदाधिकारी से MTC केन्द्रों की संख्या एवं स्थिति के संबंध में पूछने पर प्रभारी पदाधिकारी एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में पांच MTC सेन्टर हैं। (1) बहरागोड़ा में–15 बेड है, जहाँ 15 बच्चे भर्ती हैं (2) घाटशिला में –15 बेड है, जहाँ 10 बच्चे भर्ती हैं (3) मुसाबनी में–10 बेड है, जिसमें 08 बच्चे भर्ती हैं। (4) पोटका में–10 बेड है, जिसमें 12 बच्चे भर्ती हैं। (5) टेल्को में–10 बेड है, जिसमें 14 बच्चे भर्ती हैं।
- अध्यक्ष द्वारा पुछा गया कि कितने बच्चे स्वतः आते है एवं कितने बच्चों को आँगनबाड़ी सेविका या सहिया द्वारा लाया जाता है। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कोई भी स्वयं नहीं आते हैं, उन्हें लेकर ही आना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र से भी कोई महिला नहीं आना चाहती हैं। अगर कोई आंगनबाड़ी सेविका या सहिया या कोई और लाता है, तो वो आकर ईलाज कराती हैं। उदाहरण स्वरूप अगर किसी महिला के तीन बच्चे हैं तो वो इसलिये नहीं आना चाहती हैं कि अपने एक बच्चे को लेकर और दो बच्चे को छोड़ कर कैसे जाय ?
- आयोग के अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि लोगों को ये बताया जाय कि MTC सेन्टर में सरकार द्वारा क्या–क्या सुविधायें दी जाती हैं ? बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि MTC सेन्टर जाना क्यों जरूरी है ? बच्चे की माता के लिए भी सरकार द्वारा 130 रू0 और भोजन दिया जाता है। सरकार की योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी नहीं है तो ज्यादा प्रचार–प्रसार करने एवं लोगों में जागरूकता फैलाने की आवश्कता है। आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से, सेविका–सहिया दीदी के माध्यम से प्रचार–प्रसार कर लोगों को कुपोषण के प्रति जागरूक करें।

4. पूर्वी सिंहभूम जिला में दिनांक–14.09.2023 को अपराह्न 02.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक जिले के पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद।

- दिनांक–14.09.2023 को अपराह्न 02.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक पूर्वी सिंहभूम जिला अन्तर्गत आने वाले प्रखण्डों के विभिन्न पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुखिया के साथ संवाद कार्यक्रम में जिले के 231 में से 166 पंचायतों के मुखियागण उपस्थित हुए। संवाद कार्यक्रम के दौरान आयोग के अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी एवं सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन के अतिरिक्त पूर्वी सिंहभूम जिले के अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला शिक्षा अधीक्षक, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, अंचल अधिकारी

आदि उपस्थित रहे। सभी पदाधिकारियों द्वारा अपने–अपने विभाग के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित योजनाओं की जानकारी दी गई। अध्यक्ष श्री हिमांशु शेखर चौधरी द्वारा मुख्य रूप से योजनाओं के क्रियान्वयन में पंचायत एवं मुखिया की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

आयोग की ओर से सभी मुखियागणों के बीच किट का वितरण किया गया, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् संचालित योजनाओं यथा जनवितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से सम्बन्धित जानकारी दी गई है।

5. पूर्वी सिंहभूम जिला अन्तर्गत आने वाले विभिन्न पंचायतों के मुखियागण द्वारा उठाये गये मामलों का समाधान।

- संवाद के दौरान मुखियागण द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक का मोबाईल नं0 उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। जिसके आलोक में उन्हें जिला शिक्षा अधीक्षक का मोबाईल नं0 उपलब्ध कराया गया।
- मुखिया द्वारा बताया गया कि विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान पाया जाता है कि शिक्षकों का आपस में ताल–मेल नहीं रहता है। इस संबंध में आयोग की सदस्या द्वारा शिक्षकों के इस प्रकार के रवैये के बारे में अपनी शिकायत किसी और मंच पर रखने का निर्देश देते हुए कहा गया कि अगर आप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 संबंधित कोई सुझाव अथवा शिकायत रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं।
- पोटका पंचायत के मुखिया श्री अभिषेक सरदार द्वारा सुझाव दिया गया कि जिस प्रकार ग्रीन कार्ड का राशन 5 कि0ग्रा0 के पैकेट में दिया जाता है। उसी तरह PH कार्ड और AAY कार्ड का राशन भी पैकेट में मिलता, तो कम राशन मिलने की समस्या का बहुत हद तक समाधान हो सकता है। आयोग के सदस्या द्वारा इस पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा गया कि यह सुझाव पहले भी आ चुका है। आयोग द्वारा इस संबंध में विभाग से पत्राचार किया जायेगा।
- संवाद में उपस्थित एक मुखिया के द्वारा राशन दुकानदारों का राशन बाँटने की तिथि निर्धारित नहीं रहने का उल्लेख करते हुए कहा गया कि PDS दुकानदारों को कभी 5 तारीख को, तो कभी 10 तारीख को राशन मिलता है। यदि उन्हें पांच तारीख तक राशन आ जाये तो लाभुकों को समय पर राशन मिल जायेगा। आयोग की सदस्या द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी से इस संबंध में पूछने पर जिला आपूर्ति द्वारा बताया गया कि यदि अगस्त का राशन वितरण करना है, तो 31 जुलाई तक डीलर के पास राशन पहुँच जाता है। और एक से चार तक पोर्टल में अपडेट होता है, तो पोर्टल बन्द रहता है। पांच तारीख से राशन वितरण होने लगता है। और यदि वितरण प्रतिशत कम रहता

है तो झारखण्ड सरकार द्वारा अतिरिक्त समय दिया जाता है। जैसेः– अगस्त के राशन की तिथि बढ़ा कर 30 सितम्बर तक कर दिया गया है। इसी प्रकार किसी माह वितरण प्रतिशत कम रहने पर वितरण की तिथि बढ़ायी जाती है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जनवितरण प्रणाली दुकान सुबह 8 बजे से 2 बजे तक खुली रखनी चाहिये। अगर नहीं खुला रखता है तो शिकायत कीजिये। मुखिया सतर्कता समिति के अध्यक्ष हैं। यह भी बताया गया कि झारखण्ड PDS कन्ट्रोल आर्डर के तहत PDS दुकान ग्रामीण क्षेत्र में सोमवार को और शहरी क्षेत्र में मंगलवार को बन्द रहता है।

- प्रखण्ड–पोटका, पंचायत–बालगाता की मुखिया द्वारा बताया गया कि उनके पंचायत में लगभग साढ़े तीन सौ सबर लोग रहते हैं। PVTG के तहत् घर–घर जाने वाला राशन मात्र सबर नगर तक पहुँचता है, लेकिन जो सबर लोग नीचे पहाड़ में रहते हैं, उनके घर तक राशन नहीं पहुँचाया जाता है। जिला आपूर्ति पदाधिकरी द्वारा आग्रह किया गया कि अगर उनके संज्ञान में ऐसा कोई मामला है तो इसकी जानकारी दें। उनको सरकार द्वारा राशन घर तक पहुचाने का प्रावधान है।
- मुखिया द्वारा बताया गया कि पहले PDS दुकानों का stock की जाँच मुखिया द्वारा करायी जाती थी, किन्तु अब नहीं। इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकरी द्वारा बताया गया कि पंचायत स्तरीय सर्तकता समिति की बैठक बुलाइये। आपको अधिकार है। जब भी PDS दुकान पर राशन जाता है, तो आप उसकी मॉनिटरींग कीजिये, कितना राशन उसे प्राप्त है ? कितना वितरण करना है ? वितरण पंजी चेक करें। आप डीलर की मासिक बैठक बुलायें आपको निगरानी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।
- एक अन्य मुखिया द्वारा कहा गया कि आंगनबाड़ी केन्द्र में बच्चों को मिलने वाला सूजी, चीनी, घी सही से नहीं मिल पाता है। पूछने पर कहा जाता है कि हमलोगों को एक डेढ़ साल से न फंड मिला है, न पैसा मिला है। आयोग की सदस्या द्वारा इसकी लिखित शिकायत आयोग के वाट्सएप्प नं0 पर करने का निर्देश दिया गया।
- प्रखण्ड–मुसाबनी, ग्रामपंचायत–सुरदा के मुखिया श्री ईसाक बाखला द्वारा बताया गया कि बहुत से लाभुक ऐसे हैं, जिनका बायोमैट्रीक स्कैन नहीं होने के कारण उनको राशन नहीं मिलता है। इसपर जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वैसे लाभुक जिनका अंगूठा नहीं लग रहा है, उनको अपवाद पंजी के माध्यम से राशन वितरण करने का प्रवाधान है। किन्तु इसके लिए पहले आपको डीलर के माध्यम से इसकी लिखित सूचना जिला आपूर्ति पदाधिकारी को देनी होगी। इसके उपरान्त पोर्टल में अपवाद के माध्यम से वितरण हेतु उसकी इन्ट्री होती है। इसके उपरान्त रजिस्टर में अंगुठा लगा कर उनको राशन वितरण किये जाने का प्रावधान है। अगर कोई एकल 60+ बुजुर्ग

है, या कोई विधवा है, या बुजुर्ग पति–पत्नी हैं, उनका अंगुठा नहीं लगता है, तब अपवाद पंजी के माध्यम से उनको राशन मिलेगा।

- मूसाबनी–प्रखण्ड, के एक अन्य पंचायत के मुखिया श्री पोरमा बाण्ड्रा द्वारा कहा गया कि डीलर मशीन में पहले अंगुठा का निशान लेता है, और बाद में राशन देता है। इसपरजिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि जिस समय अंगूठा लिया जाता है, उसी समय आप राशन ले लें। कई बार दूर–दराज ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की परेशानी के कारण अगर वहां एडवांस में अंगुठा लगवाया जाता है तो आप राशन जरूर लें। आयोग की सदस्या द्वारा कहा गया कि इस प्रकार की शिकायत रहने पर आयोग के वॉट्सएप्प नं0 पर लिखित शिकायत करें।
- चकुलिया प्रखण्ड के एक मुखिया द्वारा कहा गया कि जितनी योजनायें है मुखियागण द्वारा सक्रियता से लागु कराने का प्रयास किया जा रहा है। किन्तु MDM का राशन, आंगनबाड़ी केन्द्र का पोषाहार, राशन का चावल सही समय पर देना सुनिश्चित किया जाय। सही समय पर नहीं मिलने से आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन बाधित होता है। आयोग की सदस्या द्वारा इसपर सहमति व्यक्त करते हुए कहा गया कि हर जगह से शिकायतें आ रही हैं कि सही समय पर पोषाहार नहीं मिलने से सेविका द्वारा उधार लेकर काम चलाया जा रहा है। इस संबंध में आयोग द्वारा विभाग से पत्राचार किया जायेगा।
- मुखिया द्वारा सुझाव दिया गया कि बहुत सी ऐसी एकल परिवार की बुर्जुग महिला हैं, जिनके लिये राशन दुकान बहुत दूर है। हमलोग चाहते हैं कि उनका कार्ड नजदिकी राशन दुकान से जोड़ दिया जाये ताकि उनको राशन लेने में सुविधा हो। इसपर आयोग की सदस्या द्वारा बताया गया कि पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू है। उसके तहत् वो किसी भी जनवितरण प्रणाली दुकान से राशन ले सकती हैं। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा भी कहा गया कि कोई भी लाभुक किसी भी दुकान से राशन ले सकता है। कई बार डीलर को परेशानी होती है। जो राशन वो वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से वितरण किया है, उसको आवंटन मिलने में कठिनाई होती हैं। इसके चलते वो इनकार कर देता है। कारण है कि चार महिना, पांच महिना तक उसको राशन का आवंटन नहीं होता। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा सलाह दी गयी कि आप डीलर चेंज करने का एक आवेदन दे दें। वो जिस डीलर के यहाँ से राशन लेना चाहती हैं, उस डीलर के पास टैग कर दिया जयेगा।
- उत्तर पूर्वी, बागबेड़ा, जमशेदपुर की मुखिया द्वारा बताया गया कि उनके पंचायत में 05 राशन दुकानें हैं। ये राशन दुकानें दो दिन मंगलवार और शुक्रवार को बंद रहते हैं। इससे लाभुकों को परेशानी होती है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सोमवार को ग्रामीण क्षेत्र में एवं

मंगलवार को शहरी क्षेत्र में PDS दुकान बन्द रखे जाने का प्रावधान है। अगर वे लोग लाभुकों की सुविधा के लिए किसी एक दिन बंद रखना चाहती हैं, तो लोग सर्तकता समिति से प्रस्ताव पारित कर उसी दिन दुकान बंद रखें।

- मुखिया द्वारा उनके पंचायत के एक अन्य बुजर्ग महिला का जिक्र करते हुए कहा गया कि उनका राशन कार्ड पोटका में है। 10 कि0ग्रा0 राशन के लिये पोटका जाना पड़ता है। उनका राशन कार्ड यही ट्रांसफर हो जाय। इसपर जिला आपूर्ति पदाधिकरी द्वारा उन्हें डीलर चेंज करने के लिये ऑनलाइन आवेदन करने का आग्रह किया गया।

आयोग के अध्यक्ष का संबोधन

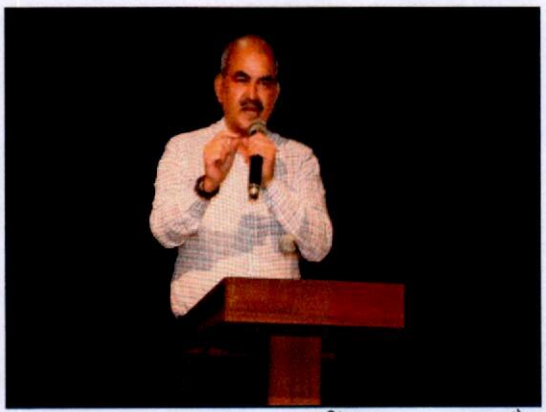

- झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी द्वारा तीनों जिलों (पश्चिमी सिंहाभूम, सरायकेला–खरसावाँ एवं पूर्वी सिंहभूम) के भ्रमण के दौरान आयोजित मुखिया संवाद में मुखियागण को जोहार के साथ संबोधित करते हुए कहा गया कि मुखिया इस समाज की नींव हैं। जब तक मुखिया मजबूत नहीं होंगे, तब तक जिला मजबूत नहीं होगा, जब तक जिला मजबूत नहीं होगा, तब तक समृद्ध राज्य नहीं बन सकता और जब तक राज्य समृद्ध नहीं होगा तब तक हमारा देश महान नहीं हो सकता।
- आयोग के अध्यक्ष द्वारा यह भी बताया गया कि यदि आयोग में शिकायतें कम आ रहीं हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि समस्याएँ नहीं हैं। इसका मतलब है कि लोगों में जागरूकता की कमी है। क्योंकि आए–दिन मीडिया एवं अखबारों में ये खबरें आती हैं कि आंगनबाड़ी में पोषाहार नहीं मिल रहा है, मध्याह्न भोजन मेन्यू के अनुसार नहीं मिल रहा है या गुणवत्तापूर्ण नहीं मिल रहा है। हर जगह से खबरों में तो शिकायतें आती हैं लेकिन आयोग में शिकायत नहीं आ रहा है। इसका कारण लोगों में जागरूकता का अभाव है।
- अध्यक्ष द्वारा यह भी कहा गया कि यदि हम मुखिया को जागरूक कर दें, तो वे अपने पंचायत के लोगों को जागरूक करेंगे। इससे आयोग अपने लक्ष्य तक पहुँच सकता है।

- आयोग के अध्यक्ष द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिले के मुखियागणों को बधाई देते हुए कहा गया कि पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग के बाद दूसरा जिला है, जहाँ इतनी उपस्थिति है और ये उपस्थिति बताती है कि आप लोगों में जागरूकता है एवं आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने को तैयार हैं। आयोग के अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि कमी होना कोई अपराध नहीं है, कमी को दूर करने का प्रयास न करना अपराध है। आयोग के अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि उनका मानना है कि अब तक मुखियागण अपने जिन अधिकारों से वंचित थे या जिन जानकारियों से वंचित होने के कारण अपने कर्तव्य का निर्वाह्न नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसा अनजाने में हो रहा था। परन्तु आज के बाद यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वह अपराध होगा, क्योंकि पहले आपको जानकारी नहीं थी, परन्तु अब है।

- आयोग के अध्यक्ष द्वारा मुखियागण से संवाद के दौरान कहा गया कि अधिकारी अच्छे हैं या बुरे, यह विवेचना का विषय नहीं है। विषय यह है कि अधिकारी आज हैं, कल दूसरे जिले में रहेंगे इनका तबादला हो जायेगा परन्तु आपका तबादला नहीं होगा। आपका अपने समाज से जन्म–जन्मांतर का संबंध है। आप यदि अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो आपका समाज बर्बाद हो जायगा आपकी आने वाली पिढ़ी भी आपको कोसेगी। NFSA की सारी योजनायें समाज के सबसे पीछे छुटे/गरीब लोगों के लिए है, समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए है।
- आयोग के अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि हर मनुष्य में ईश्वर का वास होता है। खासकर गरीबों में ही ईश्वर का वास होता है। एक गरीब की मदद करना कर्म नहीं धर्म है। आयोग के अध्यक्ष द्वारा आग्रह किया गया कि NFSA की योजनाओं को लागू करना मुखियागण अपना धर्म मानें।
- आयोग के अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि आप जबतक अपना अधिकार माँगेंगे नहीं, आपको अधिकार नहीं मिलेगा।
- अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि अगर हम हार मान जायेंगे तो हम अपना अधिकार नहीं पा सकते हैं। अगर हमारे पूर्वज आज से 100 साल पहले प्रताड़ना से हार मान गये होते तो क्या आज हम आजाद हिन्दुस्तान के वासी रहते ? अगर उन्होंने उतनी कठिन स्थिति में भी संघर्ष नहीं छोड़ा, तो आपके लिए यह कार्य उतना कठिन भी नहीं है।

- अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए जिले में अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी हैं। राज्य में झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग है। खाद्य आयोग ने लोगों तक अपनी पहुँच आसान करने के लिए वॉट्सएप नम्बर जारी किया है। आप मुखियागण से आग्रह किया गया कि वे स्वयं एवं अपने माध्यम से अपने पंचायत के लोगों तक वॉट्सएप नम्बर पहुँचाईये।
- आयोग के अध्यक्ष द्वारा अपील की गई कि लोग अपने अधिकार के लिए आगे आयें। अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि सिर्फ गलती करने वाला या अपराध करने वाला ही अपराधी नहीं होता है, जो अपराध देख कर चुप रहता है वो भी अपराधी होता है। अगर आपके सामने काई अपराध कर रहा है या अधिकारों से वंचित कर रहा है और आप चुप हैं, तो जितना दोषी वो है उतना ही दोषी मैं उनको भी मानता हुँ जिनके सामने ये घटनायें हो रहीं हैं। आयोग के अध्यक्ष द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिले के अधिकारियों को संवेदशील बताते हुए कहा कि उनमें आत्मियता है। वे लोगों की भलाई के लिए तत्पर रहते हैं। अगर आप ऐसे अधिकारी के बीच यदि इन योजनाओं को सफल नहीं बनाते हैं तो आप अपने लोगों के साथ न्याय नहीं कर पायेंगे। मुखिया सिर्फ पुलिया, सड़क आदि बनाने के लिए नहीं बनाया गया है बल्कि इसलिए भी बनाया गया है कि गरीबों को ये भरोसा है कि यदि मुझे कोई तकलीफ होगी, काई दुःख होगा तो मुखिया जी मेरे साथ खड़े रहेंगे। आपकी मदद आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता। आपको अपने अधिकार के लिए स्वयं लड़ना होगा। मुखिया और आयोग एक दूसरे के पूरक हैं। मुखिया के सहयोग से आयोग NFSA को लागू कर पायेगा। (**अनुपालन– अपर समाहर्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम**)
- आयोग के अध्यक्ष द्वारा इस बात की भी जानकारी दी गई कि सतर्कता समिति जिसको निगरानी समिति भी कहते हैं, के पदेन अध्यक्ष मुखिया होते हैं। मुखियागण से निगरानी समिति के गठन के संदर्भ में पूछे जाने पर पूर्वी सिंहभूम के मुखियागण द्वारा बताया गया कि पूर्वी सिंहभूम में निगरानी समिति गठित है। सरायकेला–खरसावाँ एवं पश्चिमी सिंहभूम के मुखियाओं द्वारा निगरानी समिति गठित नहीं रहने की बात कही गयी। इस पर आयोग के अध्यक्ष द्वारा दुख जताया गया। दोनों जिलों के जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को आयोग के अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिया गया कि 7 दिनों के अन्दर निगरानी समिति का गठन कर आयोग को अवगत करायें।
- आयोग के अध्यक्ष द्वारा इस बात की भी जानकारी दी गई कि हर जिले में 3 मुखिया को आयोग द्वारा सम्मानित किया जायेगा। मुखियागणों को राज्य में सम्मानित कर उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग एवं उनके पंचायत में जाकर उनके काम की पूरी रिकॉर्डिंग होगी। उनके बारे में विस्तार से लिखा

जाएगा और राज्यस्तरीय एवं संभव होने पर देश स्तर के TV Channels एवं अखबारों पर भी फोटो सहित छपवाया जाएगा ताकि वो अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का केन्द्र बनें। इसके लिए अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को Selection Committe का अध्यक्ष बनाया गया है। आयोग द्वारा ये टैग लाइन बनाया गया है **"अधिकार जाने, अधिकार माँगे"**। आयोग के अध्यक्ष द्वारा मुखियागणों को कहा गया कि NFSA की जितनी भी योजनायें हैं, उन योजनाओं से संबंधित होर्डिंग अपने पंचायत भवन के बाहर लगवायें।

- अध्यक्ष द्वारा मुखियागण से आग्रह किया गया कि समय निकालकर अचानक बिना बताए स्कूलों में बच्चों के साथ बैठकर भोजर करें, ताकि भोजन की गुणवत्ता की जाँच हो सके।
- आयोग के अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि भोजन लोगों का मौलिक अधिकार है। किसी की मौत भूख से न हो एवं किसी के समक्ष भोजन का संकट न हो, इसलिए सरकार द्वारा झारखण्ड आकस्मिक खाद्यान्न कोष के तहत् प्रत्येक पंचायत के मुखिया को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के माध्यम से 10,000/– रू0 की राशि उपलब्ध कराई गई है। इसके अन्तर्गत असहाय/एकल व्यक्ति/विधवा/समाज के कमजोर वर्ग अथवा जिन लोगों के सामने भोजन का संकट हो, उन्हें बाजार दर पर अनाज खरीद कर गेहुँ/चावल उपलब्ध करायें। झारखण्ड आकस्मिक खाद्यान्न कोष के माध्यम से मुखिया को प्राप्त 10,000/– रू0 की राशि समाप्त होने पर, वे प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचित करें, उन्हें पुनः 10,000/– रू0 की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। सभी मुखियागण से अनुरोध किया गया कि वे अपने–अपने क्षेत्र में विशेष ध्यान दें कि किन्हीं को अनाज से सम्बन्धित कोई समस्या न हो। किसी की मौत भूख से होती है तो इसकी जवाबदेही सम्बन्धित अधिकारियों सहित मुखिया की भी होगी। किसी की मौत भूख से नहीं हो, इसलिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 का गठन किया गया है।
- आयोग के अध्यक्ष द्वारा यह भी कहा गया कि किसी प्रकार की शिकायत होने पर अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास लिखित रूप में प्रमाण के साथ शिकायत दर्ज कराएँ। यदि उनके द्वारा 30 दिनों के अंदर आपके शिकायत का निवारण नहीं किया जाता है अथवा उनके द्वारा किये गये कार्रवाई से शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं हो, तो शिकायतकर्ता झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के वाट्सएप्प नं0 9142622194 या ईमेल –jharfoodcommission@gmail.com शिकायत की प्रति एवं अन्य प्रमाण के साथ अपनी अपील दर्ज करा सकते हैं।
- आयोग के अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि यह सिर्फ उनके पंचायत की दिक्कत नहीं है। राज्य के कई इलाकों में ये दिक्कत है। तो इन दिक्कतों का निवारण सरकार कर रही है। कई टॉवर लगाये

जा रह हैं, डोंगल लगाये जा रहें हैं। लेकिन ये पंचिंग नहीं हो रहा, नेटवर्क नहीं है, तो रशन देने से मना नहीं किया जा सकता।

आयोग के सदस्या का संबोधन

- आयोग की माननीय सदस्या श्रीमती शबनम परवीन द्वारा सभी मुखियागण को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत् संचालित विभिन्न योजनाएँ जो विभिन्न विभागों के द्वारा चलाई जाती हैं, इन सारी योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी मुखियागण को की गयी।
- माननीय सदस्या द्वारा कहा गया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम जीवन की शुरूआत से जीवन के अन्त तक सभी लाभुकों को उनका अधिकार प्रदान करता है। आंगनबाड़ी से दो तरह की योजनाएँ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् संचालित हैं। जब कोई महिला प्रथम बार गर्भधारण करती हैं, तो आंगनबाड़ी में registration कराने के बाद PMMVY के तहत तीन किस्तों में 5000 रूपया दिया जाता है। प्रथम किस्त के रूप में 1000 रू०, द्वितीय किस्त में 2000 रू० एवं तृतीय किस्त में 2000 रू० की राशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त दूसरे बच्चे के रूप में लड़की का जन्म होने पर एक मुश्त 6000 रूपये दिये जाने का प्रावधान है। यदि कोई महिला संस्थागत प्रसव कराती है, तो उसे स्वास्थ्य विभाग की ओर से 1000 रू० और 1400 रू० राशि, जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग–अलग है, दी जाती है।

- सदस्या द्वारा बताया गया कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर धातृ महिला को भी गर्भवती महिला के तरह ही मिठी दलिया और नमकिन दलिया दी जाती है, जो काफी पौस्टिक होती है। लेकिन ज्ञान के अभाव के कारण उसे जब किसी महिला को ये मिलता है, तो कई बार वो उसे अपने परिवार में बाँट देती है। महिलाओं को ये समझना होगा कि ये काफी पौष्टिक होते हैं। बच्चे के जन्म के बाद महिला का शरीर काफी कमजोर हो जाता है। आंगनबाड़ी केन्द्र से मिलने वाला पोषाहार को वे अलग–अलग तरह के recipe बना कर खा सकती हैं, जैसेः–दलिया, निमकी, रोटी, इडली आदि। इससे उस महिला को उसकी पूरी पौस्टिकता मिलेगी।
- आयोग की सदस्या द्वारा यह भी बताया गया कि अलग–अलग उम्र के बच्चे को आंगनबाड़ी केन्द पर पोषाहार दिया जाता है। जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसे MDM के माध्यम से भोजन मिलता

है, जिसमें सोमवार और शुक्रवार के दिन अंडा/फल बच्चों को दिया जाता है। यदि उस दिन अवकाश हो जाता है तो अगले कार्यदिवस में अंडा/फल देने का भी प्रावधान है।

- आयोग की सदस्या द्वारा PDS के बारे में बताते हुए कहा गया कि गड़बड़ियाँ कहाँ होती हैं ? जहाँ लोग गड़बडियाँ करना चाहते हैं। जब लाभुक PDS दुकानदार के पास जाते हैं एवं अपने राशन की माँग करते हैं, तो राशन उठाव के समय ePOS मशीन से पर्ची निकलने का प्रावधान है। कई बार डीलर द्वारा ePOS मशीन में जहाँ से पर्ची निकलता है उसमें कागज को ऐसे फंसा दिया जाता है कि वहाँ से पर्ची निकले ही नहीं। वो पर्ची देना नहीं चाहते। क्योंकि अगर पर्ची निकलेगा तो लोगों को ये पता चल जायगा कि कितना अनाज मिलना था और कितना मिला ? आयोग की सदस्या द्वारा लोगों को जागरूक करने की भी अपील की गई कि वे राशन लेने के बाद पर्ची से मिलान जरूर करें।
- सदस्या द्वारा बताया गया कि मुखियागण से संवाद करने का खास मकसद लोगों में योजनाओं के बारे में जागरूकता लाना है।
- सदस्या ने बताया कि जैसे जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि किसी की मृत्यु के बाद जब रिक्ति हो जाती है तो दूसरे व्यक्ति का नाम जुड़ पाता है। परन्तु मृत्यु ही एक मात्र कारण नहीं है। रिक्ति होने के बहुत सारे कारण हैं। आयोग के द्वारा बाँटे गये किट में इसका उल्लेख है कि कौन लोग राशन कार्ड के हकदार हैं और कौन नहीं ? जो लोग राशन लेने के हकदार नहीं हैं, उन्हें चिन्हित कर उनसे request करें कि वे स्वेच्छा से अपना नाम delete करवा देते हैं तो इससे एक जरूरतमंद को उसका लाभ मिलेगा क्योंकि ये योजनाएँ समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति के लिए है और उन्हें इनका लाभ मिलना चाहिए। परन्तु यदि वे स्वेच्छा से नाम delete नहीं करवाते हैं तो list बनाकर जिला एवं प्रखण्ड कार्यालयों में दें एवं इसकी जांच करवायें, ताकि सही लोगों को इसका लाभ मिल सके।

इसके साथ पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला–खरसावाँ एवं पूर्वी सिंहभूम जिला भ्रमण का कार्यक्रम समाप्त हुआ।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।